



सभी श्रमकों के लिए सवैतनकि अवकाश अधनियिम नोटसि

नयिक्ताओं को कसिी भी कारण से कर्मचारियों को 40 घंटे तक का सवैतनकि अवकाश प्रदान करना होगा।

सवैतनकि अवकाश

- **श्रमकि:** प्रतविर्ष काम से 40 घंटे तक सवैतनकि अवकाश प्रापुत करें।
- **उपयोग:** कर्मचारी अपनी पसंद के कसिी भी कारण से सवैतनकि अवकाश का उपयोग कर सकते हैं। नयिक्ताओं को श्रमकों से उनके सवैतनकि अवकाश अनुरोध के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं हो सकती है या कसिी कर्मचारी से प्रतस्थापन कर्मचारी ढूँढने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
- **उपार्जन:** श्रमकि प्रत्येक 40 घंटे काम करने पर 1 घंटे का सवैतनकि अवकाश अर्जति करते हैं। नयिक्ता श्रमकों को 12-महीने की अवधि (फ्रंटलोडिंग) की शुरुआत में सभी सवैतनकि अवकाश घंटे भी प्रदान कर सकते हैं।
- **आगे बढ़ाना:** श्रमकि वर्ष के अंत में सभी अपर्युक्त अर्जति भुगतान अवकाश को स्थानांतरति कर देते हैं। कसिी भी अपर्युक्त फ्रंटलोडेड अवकाश को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
- **प्रतशोध नषिदिध है:** इस कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले श्रमकों के खलिाफ प्रतकिल कार्रवाई करने वाले नयिक्ताओं पर जुर्माना लागू हो सकता है।



दंड

श्रमकि उस राशकिी वसूली कर सकते हैं जो उन्हें छुट्टी, दंड और अन्य न्यायसंगत राहत के लिए भुगतान की जानी चाहिए थी।

शकियात दर्ज करना

श्रमकि नमिनलखिति वेबसाइट पर जाकर शकियात पत्र भरकर इस अधनियिम के उल्लंघन का दावा करते हुए इलिनॉय डेपार्टमेंट ऑफ लेबर में शकियात दर्ज करा सकता है labor.illinois.gov/paidleave.

मौजूदा पॉलसिी और बहषिकार

कुछ अपवाद उन नयिक्ताओं के लिए लागू हो सकते हैं जो पहले से ही अपने कर्मचारियों को सवैतनकि छुट्टी प्रदान करते हैं। श्रमकों की कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती हैं।

शकियात कैसे करें और कसिी भी प्रासंगकि कानूनी अपवादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए QR कोड देखें।



कानून के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें:
www.labor.illinois.gov

अधिक जानकारी के लिए या शकियात दर्ज करने के लिए, हमसे यहां संपर्क करें:
DOL.PaidLeave@illinois.gov

312-793-2600

यह नोटसि नयिक्ता के परसिर में वशिष स्थान पर प्रदर्शति कथिा जाना चाहिए जहां अन्य नोटसि लगाए गए हों।